पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 01/15

1. सरजीतसिंह पुत्र सजवारसिंह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. भगवानसिंह पुत्र सजवारसिंह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. नायब तहसीलदार, हिन्दूमलकोट
2. बशीरखॉं पुत्र श्री नवाबखॉं निवासी पुरानी पटाखा फैक्टरी, श्री गंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार, हिन्दूमलकोट दिनांक 1–1–15 इंतकाल सं0 641

उपस्थित : 1.ओ0 पी0 बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2.श्री गुरविन्द्रसिंह सिद्धू, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 5/15

1. गुरदयालसिंह पुत्र हरीसिंह
2. गुरबचनसिंह पुत्र हरीसिंह
3. इकबालसिंह पुत्र रणसिंह
4. हरमन्दरसिंह पुत्र हरीसिंह
5. भलविन्द्रसिंह पुत्र हरीसिंह
6. इन्द्रजीतसिंह पुत्र स्व0 नाजरसिंह
7. हरबंशसिंह पुत्र रणसिंह
8. गुरजन्टसिंह पुत्र रणसिंह
9. मलकीयतकौर बेवा महेन्द्रसिंह
10. निर्मलकौर पुत्री स्व0 श्री महेन्द्रसिंह
11. कुलविन्द्रकौर बेवा श्री महेन्द्रसिंह
12. तरसेमसिंह पुत्र स्व0 श्री महेन्द्रसिंह
13. अमनदीपकौर पुत्री स्व0 श्री महेन्द्रसिंह
    अकवाम जटसिख सकनाए चक 5 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थीगण

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. बशीरखॉं पुत्र श्री नवाबखॉं निवासी पुरानी पटाखा फैक्टरी, श्री गंगानगर।
2. लालसिंह पुत्र सजवारसिंह उर्फ गुरदेवसिंह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित : श्री सुरेन्द्र भनोत, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री गुरविन्द्रसिंह सिधू, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व इंतकाल कमांक 641 दिनांक 1–1–15 द्वारा उप तहसीलदार, हिन्दूमलकोट

आदेश **दिनांक : 15–12–15**

उपयुक्त दोनों अपीलें अपीलाधीन इंतकाल सं0 641 दिनांक 1–1–15 के विरूद्व पेश की गई हैं। दोनों की विषयवस्तु एक समान होने के कारण दोनों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट के दादा डोगरसिंह को चक 5 एफ बड़ा में मु0 नं0 34 में एवं मु0 नं0 42 में 30 बीघा 17 बिस्वा रकबा अलॉट किया गया था, जिसमें 5/7 हिस्सा सजवार सिह, उसकी पत्नि के उत्तराधिकारी के नाम तथा 2/7 हिस्सा लाल सिंह एवं माया बाई के नाम दर्ज किया गया। लाल सिंह की माता सतो बाई की गुरदेव सिंह उर्फ गुरदित सिंह के साथ पहली शादी हुई थी तथा लाल सिंह व माया बाई दोनों गुरदेव सिंह उर्फ गुरदित सिंह के संतान थी। इनके द्वारा पूर्व में अपने हिस्से की जमीन का बेचान कर दिया था लेकिन उनके नाम इंतकाल तस्दीक हुआ। अब बिना किसी आधार पर 5 बीघा रकबा का बेचान रैस्पोडेंट के नाम किया गया जबकि जमीन का विवाद चल रहा था। रेस्पोडेंट ने रजिस्ट्री के नाम पर अधीनस्थ न्यायालय में अपने नाम से इंतकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। गिरदावर द्वारा दिनांक 15.10.2007 को इंतकाल पर नोट अंकित किया गया कि लाल सिंह ने पूर्व में जमीन का बेचान कर दिया है तथा इसका विवाद चल रहा है, जब तक विवाद का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इंतकाल नहीं किया जा सकता। अपीलांट ने एक वाद उपजिलाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ है तथा दिनांक 31.12.2014 को स्थगन आदेश ता फैसला कन्फर्म कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय बिना किसी आधार पर दिनांक 01.01.2015 को इंतकाल जो पूर्व में रोका गया था उसे तस्दीक कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने उप जिलाधीश, श्रीगंगानगर का हवाला देकर रेस्पोडेंट को पाबन्द किया कि वह अपीलांट की भूमि पर मदाखतल बेजा न करें लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम आदेश मानकर विधिक भूल की है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई विधिवत् सूचना नहीं दी गई। उप तहसीलदार को इंतकाल स्वीकृत करने का अधिकार नहीं था क्योंकि पूर्व इंतकाल ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया था। इस प्रकार निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2015 निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील सं0 5/15 के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 5 एफ बड़ा के मु0 नं0 34 के किला नं0 14 की 16 बिस्वा व 18 की 5 बिस्वा कुल 1 बीघा 1 बिस्वा व मु0 नं0 33 के कि0 नं0 1 से 3 व 9 और 10 की 2 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि अपीलार्थीगण के द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 6-2-75 व 6-2-76 रेस्पो0 सं0 2 से क्रय की हुई है। रेस्पो0 सं0 2 के द्वारा अपनी समस्त कृषि भूमि का बेचान किया हुआ है लेकिन राजस्व अभिलेख में रेस्पो0 सं0 2 लालसिंह के नाम 1.390 है0 कृषि भूमि का गलत इन्द्राज होने के कारण रेस्पो0 सं0 2 के द्वारा मु0 नं0 34 व 42 के खाता सं0 70/64 में दर्ज 1.390 है0 कृषि भूमि का विक्रय दिनांक 12.9.07 को रेस्पो0 सं0 1 को कर दिया गया और इसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि रकबा पूर्व में विक्रित है और विवादित है, के उपरांत भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 1-1-15 को पारित कर दिया। विवादित कृषि भूमि रेस्पो0 के कब्जा काश्त में नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण के कब्जा काश्त में है। अपीलार्थीगण की उपरोक्त वर्णित क्रय की गई भूमि के अतिरिक्त रेस्पो0 सं0 2 के नाम गलत तौर पर दर्ज उसके द्वारा कुल भूमि का बेचान किये जाने के कारण सुरजीतसिंह व तीन अन्य नामक व्यक्तियों ने रेस्पोडेन्टस के खिलाफ नियमित वाद भी न्यायालय में पेश किया हुआ है, जो वर्तमान में ए0सी0एम0 फास्ट ट्रेक, श्री गंगानगर के न्यायालय में सुरजीतसिंह बनाम बसीरखॉ व लालसिंह के नाम से लम्बित है। वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में दिनांक 30-12-14 को यह आदेश पारित किया गया है कि कमूल वाद पत्रावली के निस्तारण तक चक 5 एफ बड़ा तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 70/64 मु0 नं0 34 व 42 की 7.804 है0 कृषि भूमि में से कुल 3.16 बीघा कृषि भूमि में स्वंय अथवा किसी भी अन्य माध्यम से हस्तक्षेप करने से निषेध रहे। यह आदेश अभिलेखों पर प्रभावित नहीं रहेगा। रेस्पो0 के द्वारा उक्त आदेश का अनुचित लाभ उठाते हुए दिनांक 1-1-15 को विवादित कृषि भूमि का इंतकाल रेस्पो0 सं0 1 के द्वारा अपने नाम दर्ज करवा लिया। विधि अनुसार रेस्पो0 सं0 2 के द्वारा रेस्पो0 सं0 1 के पक्ष में कराया गया विक्रय विलेख प्रारम्भ से ही अकृत एवं शून्य है क्योंकि रेस्पो0 सं0 2 के स्वामित्व में विक्रय योग्य कोई भूमि ही नहीं थी और मात्र राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि के आधार पर किसी को कोई स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन प्रविष्टि के कारण अनुचित संव्यवहार हो जाना सामान्य बात है और इसी का अनुचित फायदा रेस्पो0 सं0 2 द्वारा उठाया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

दोनों अपीलों में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि अपीलांट के दादा डोगरसिंह को चक 5 एफ बड़ा में मु0 नं0 34 में एवं मु0 नं0 42 में 30 बीघा 17 बिस्वा रकबा अलॉट किया गया था, जिसमें 5/7 हिस्सा सजवार सिह, उसकी पत्नि के उत्तराधिकारी के नाम तथा 2/7 हिस्सा लाल सिंह एवं माया बाई के नाम दर्ज किया गया। लाल सिंह की माता सतो बाई की गुरदेव सिंह उर्फ गुरदित सिंह के साथ पहली शादी हुई थी तथा लाल सिंह व माया बाई दोनों गुरदेव सिंह उर्फ गुरदित सिंह के संतान थी। इनके द्वारा पूर्व में अपने हिस्से की जमीन का बेचान कर दिया था लेकिन उनके नाम इंतकाल तस्दीक हुआ। अब बिना किसी आधार पर 5 बीघा रकबा का बेचान रैस्पोडेंट के नाम किया गया जबकि जमीन का विवाद चल रहा था। अपीलांट ने एक वाद उपजिलाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ है तथा दिनांक 31.12.2014 को स्थगन आदेश ता फैसला कन्फर्म

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
(राज.)

श्रीगंगानगर (राज.)

कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय बिना किसी आधार पर दिनांक 01.01.2015 को इंतकाल जो पूर्व में रोका गया था उसे तस्दीक कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम आदेश मानकर विधिक भूल की है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई विधिवत् सूचना नहीं दी गई। उप तहसीलदार को इंतकाल स्वीकृत करने का अधिकार नहीं था क्योंकि पूर्व इंतकाल ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया था। ए0सी0एम0 सा0 का आदेश दोषपूर्ण है। आदेश के दूसरे दिन ही नामान्तरण हो गया। सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन की गई है। इस प्रकार निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2015 निरस्त फरमाया जावे।

अपील सं0 5/15 में अपीलांटास के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अनुसार रेस्पो0 सं0 2 के द्वारा रेस्पो0 सं0 1 के पक्ष में कराया गया विक्रय विलेख प्रारम्भ से ही अकृत एवं शून्य है क्योंकि रेस्पो0 सं0 2 के स्वामित्व में विक्रय योग्य कोई भूमि ही नहीं थी और मात्र राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि के आधार पर किसी को कोई स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन प्रविष्टि के कारण अनुचित संव्यवहार हो जाना सामान्य बात है और इसी का अनुचित फायदा रेस्पो0 सं0 2 द्वारा उठाया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलांटस दोनों ही प्रभावित पक्षकार नहीं है। रकबा लालसिंह से सजवारसिंह के नाम आया है। हिस्से के अनुसार खरीद किया है। अपीलांटस को कोई हक व हिस्सा नहीं हैं। वर्ष 1975 से खरीद कर बैठें हैं। मूल दावा लंबित है। धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता `स अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 641 रजि0 बैयनामा के आधार पर दिनांक 31–12–14 को पटवारी हल्का द्वारा खोला गया था, जिसे भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 1–1–15 को मिलान करते हुए नोट अंकित किया गया कि पूर्व में भी इस रकबा का नामान्तरण सं0 403 दर्ज किया जा चुका है जिसमें भू अभिलेख शिवपुर द्वारा रकबा पूर्व में दिनांक 6–2–76/.354 व 6–2–76/.607 कुल .961 है0 बेचान होने एवं रकबा विवादित होने बाबत रिपोर्ट की गई है। नामान्तरण सं0 403 निर्णय से शेष है। उचित निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रेफर कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 1–1–15 को ही अपने आदेश में वर्णित किया गया कि नामान्तरणकरण के फैसले हेतु पेश हुआ। बैयनामा व संलग्न न्यायालय ए सी एम श्री गंगानगर की पत्रावली सं0 60/13 निर्णय दिनांक 30–12–14 के अनुसार स्वीकार किया जाता है। निर्णय के अनुसार केता 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि विवादित पर कब्जा न करने के लिए पाबन्द किया हुआ है। ए0सी0एम0, श्री गंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 30–12–14 में विवादित भूमि के संबंध में किलों को नहीं खोला गया है। खाता सं0 70/64 मु0 नं0 34 एवं 42 की कुल 7.804 है0 कृषि भूमि में से कुल 3 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि में अप्रार्थीगण/अपीलांटस स्वंय अथवा किसी भी अन्य माध्यम से हस्तक्षेप करने से निषिद्व रहें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजि0 बैयनामा के आधार पर 1.390 है0 भूमि का इंतकाल ए0सी0एम0 के निर्णय दिनांक 30–12–14 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जबकि निर्णय 3.16 बीघा भूमि के संबंध में है जो खाता सं0 70/64 के मु0 नं0 34 व 42 की 7.804 है0 कुल भूमि में से 3.16 बीघा भूमि है। इससे यह पता नहीं चलता है कि यह 3 बीघा 16

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

बिस्वा किस मुरब्बा व इसके किले–2 कौन–2 से है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की भी जॉच नहीं की कि रेस्पो0 सं0 2 के स्वामित्व में विक्रय योग्य कोई भूमि थी अथवा नहीं थी और मात्र राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि के आधार पर किसी को कोई स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन प्रविष्टि के कारण अनुचित फायदा रेस्पो0 सं0 2 द्वारा उठाया प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत् जॉच किए अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। इस हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, उपर्युक्त दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी संबंधित पक्षकारों को विधिसम्मत् नोटिस जारी कर, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, निर्णय में किए गए विवेचन को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण में नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18–1–16 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति के साथ मूल रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे। आदेश की एक – एक प्रति प्रत्येक अपील फाईल में शामिल की जावे।

आदेश आज दिनांक 15–12–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर। 15/12/15